



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 पौष 1940 (श०)

(सं० पटना ५०) पटना, सोमवार, 14 जनवरी 2019

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

14 जनवरी 2019

एस० ओ० दिनांक 14 जनवरी 2019—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (एतश्मिन पश्चात् जिसे “उक्त नियमावली” कहा गया है) के नियम 138 के उपनियम (14) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, बिहार गजट, असाधारण अंक, में संख्या 358, दिनांक 19 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रकाशित, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 180, दिनांक 19 अप्रैल, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—  
उक्त अधिसूचना में,—

क्रम सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

“2. राज्य के अन्दर आरम्भ होकर राज्य के अन्दर समाप्त होने वाले मालों के परिवहन के लिए ई—वे बिल के सृजन की आवश्यकता नहीं होगी यदि परिवहित माल का सम्प्रेषण मूल्य एक लाख रुपयों से अधिक न हो।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 21 जनवरी, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-11/2017-209)]

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

**14 जनवरी 2019**

एस० ओ० 14 दिनांक 14 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-11/2017-209)]

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

***The 14<sup>th</sup> January 2019***

S.O.14, Dated 17<sup>th</sup> January 2019—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub rule (14) of Rule 138 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as "said Rules"), the Commissioner, hereby makes following amendment in notification No. S.O. 180, dated the 19<sup>th</sup> April, 2018 of Commercial Taxes Department published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide no. 358, dated 19<sup>th</sup> April, 2018, namely-

In the said notification,-

For serial no. 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely-

"2. The e-way bill in respect of movement of goods originating and terminating in the State of Bihar shall not be required to be generated where the consignment value does not exceed One Lac Rupees."

2. This notification shall come into force with effect from 21<sup>st</sup> January, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-11/2017 -209)]

Dr. Pratima,

Commissioner-Cum-Secretary State Tax.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 50-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>